मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार गठित जांच समिति के भुगतान हेतु रूपये 2.50 लाख व्यय होना संभावित है । इसके लिए रूपये 1,50,000 आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित राशि रूपये 2,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार एल.डब्ल्यू.ई. पर सेमिनार कराने हेतु रूपये 26.30 लाख व्यय होना संभावित है । इसके लिए रूपये 26,30,000 आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 26,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार संचालनालय लोक अभियोजन में मजदूरी भुगतान हेतु रूपये 0.50 लाख व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन के निर्णयानुसार जिला नारायणपुर के धोड़ाई, फरसगांव, धनोरा एवं ओरछा जिला बीजापुर के मोदकपाल,तायनार एवं जिला दंतेवाड़ा के पोलमपल्ली, अरनपुर, जिला-बस्तर के बड़ंजी, जिला कांकेर के ताडोकी तथा अंबिकापुर (महिला थाना) में नवीन थाना हेतु पद निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 110.00 लाख ब्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

कमांक	**पदनाम**	**संख्या**	**वेतनमान**
1	निरीक्षक	11	5500-9000
2	उप निरीक्षक	22	4500-7000
3	सहायक उप निरीक्षक	44	4000-6000
4	प्रधान आरक्षक	110	3500-5200
5	आरक्षक	528	3050-4590

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद कमांक 5

राज्य शासन के निर्णयानुसार डिक्रीधन का भुगतान हेतु रूपये 10.00 लाख व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 6

राज्य शासन के निर्णयानुसार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के राहत शिवरों में कंसर्टिना क्वायल फन्सिंग कार्य हेतु रूपये 634.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,34,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 7

राज्य शासन के निर्णयानुसार बस्तर रेंज के पुलिस थानों हेतु जनरेटर क्रय पर रूपये 32.85 लाख व्यय होना संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा । इसके लिए रूपये 100 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद कमांक 8

राज्य शासन के निर्णयानुसार पुलिस बल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत रूपये 2500.00 लाख व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,00,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 9

राज्य शासन के निर्णयानुसार नगर सैनिकों भुगतान पर रूपये 72.05 लाख व्यय संभावित है तथा सरगुजा एवं बस्तर में 1000 नगर सैनिकों का पद निर्माण हेतु रूपये 277.20 लाख व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 72,05,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 10

राज्य शासन के निर्णयानुसार जिला नारायणपुर के धोड़ाई, फरसगांव, धनोरा एवं ओरछा जिला बीजापुर के मोदकपाल,तायनार एवं जिला दंतेवाड़ा के पोलमपल्ली, अरनपुर, जिला-बस्तर के बड़ंजी तथा जिला कांकेर के ताडोकी में थाना भवनों के निर्माण हेतु लागत रूपये 245.00 लाख अनुमानित है । इस वर्ष रूपये 100.00 लाख व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मद कमांक 11

अविभाजित मध्यप्रदेश के पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के दायित्वों के भुगतान हेतु रूपये 350.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।